

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री महेन्द्रसिंह बारड प्रो. आरासुरी कम्प्यूटर  
जाति राजपूत  
निवासी राजमाता धर्मशाला के पास सिरौही  
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सिरौही

किमान मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 52 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.08.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सिरौही को दिनांक 01.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 01.08.2013 से 30.06.2020 तक RMNCH+A Family Planning काउन्सलर के मानदेय हेतु प्लेसमेन्ट एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत बिल एवं भुगतान से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- लोक सूचना अधिकारी को जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सिरौही को दिनांक 01.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 01.08.2013 से 30.06.2020 तक RMNCH+A Family Planning काउन्सलर के मानदेय हेतु प्लेसमेन्ट एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत बिल एवं भुगतान से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सिरौही के अपील अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। अपीलांत चाहे तो सक्षम अधिकारी को अपील करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, सिरौही

